International Journal of Advanced Educational Research
ISSN: 2455-6157
Impact Factor: RJIF 5.12
www.educationjournal.org
Volume 3; Issue 2; March 2018; Page No. 573-575

शिक्षा के क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों को मिलने वाले राजकीय सहयोग

सवित्रा देवी[1], डॉ० एस० के० महतो[2]
[1] शोधार्थी, श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश, भारत।
[2] शोधपर्यवेक्षक, श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश, भारत।

प्रस्तावना

विश्व के लगभग समस्त लोगों में न्यूनाधिक मात्रा में जनजातीय समुदाय का अस्तित्व है। सामान्यतः जनजातीय समाज एवं संस्कृति सदैव वनों से घनिष्ठ संबंधित, पुष्पित एवं पल्लवित होती रही है। शायद यही कारण है कि जनजातीय समुदाय को जंगलों, पहाड़ों तथा सुदूर वनों में रहने वाले ऐसे मानव समुदाय के रूप में परिभाषित किया गया है। जनजातीय समुदाय कालान्तर से वनों को निजी सम्पत्ति में रूप में मानते हैं तथा भावात्मक रूप से भी इनका लगाव वनों से रहा है। साथ ही जनजातीय समुदाय की सामाजिक – आर्थिक स्थिति पूर्णतः वनों पर निर्भर रही है, परन्तु स्वतंत्रता पूर्व तथा पश्चात् वन संरक्षण कानून एवं अनुचित नियन्त्रण के फलस्वरूप जनजातीय समुदाय की आर्थिक सम्पन्नता विपन्नता की ओर अग्रसर हो रही है। समाज में इनकी स्थिति अन्य वर्गों की तुलना में काफी दयनीय रही है। समाज में उच्च वर्गों की तुलना में इस समुदाय को सर्वांगीण विकास करने का अवसर नहीं मिला है। सरकार ने इनकी सामाजिक विषमता को दूर करने तथा अन्य वर्गों के समकक्ष लाने हेतु इन्हें सभी क्षेत्रों में आरक्षण सुविधा प्रदान करते हुए मुख्य धारा में लाने का संकल्प लिया किन्तु इन्हें मिलने वाली आरक्षण सुविधा वास्तविक धरातल पर कितना कारगर हुई यह चिन्तन व अनुशीलन का विषय है। यही कारण है इन समस्याओं पर शोधार्थी ने दृष्टिपात किया और उक्त विषय को अपने अनुशीलन हेतु चयन किया। वर्तमान में वनों का निर्मम विनाश एवं सरकारी नीतियों से जनजातीय समुदाय का वनों से भावात्मक लगाव अलगाव की ओर अग्रसर है।

अनुसूचित जातियों और जनजातियों को संवैधानिक सुविधाएँ देने के लिए बहुत बड़ी बहसें हुई। समाज के प्रबुद्ध बुद्धिजीवी, सामाजिक कार्यकर्ता एवं जागरूक राजनैतिक लोगों की धारणा थी कि जिन जनजातियों का पीढ़ी दर पीढ़ी शोषण हो रहा है वे गरीब एवं अशिक्षित ही बने रहेंगे, अगर उनको समाज की मुख्य धारा से नहीं जोड़ा जाएगा। अगर इनकी शिक्षा का समुचित प्रबन्ध किया जाए तो कुछ वर्षों में ये लोग देश की राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन में अपनी सशक्त भूमिका निभायेंगे। इन विभिन्न प्रयास व संघर्षों का परिणाम यह हुआ कि देश की आजादी के बाद सन् 1950 के भारतीय संविधान में जनजातियों को कुछ विशेषाधिकार एवं सुविधाएँ प्रदान की गई। भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 46 में उल्लेख किया है कि राज्य जनता के दुर्बल अंगों के विशेष तथा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा तथा अर्थ सम्बन्धी हितों की विशेष सावधानी से रक्षा करेगा और सामाजिक न्याय तथा सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगा। अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए शिक्षण संस्थाओं, राजनैतिक क्षेत्र एवं राजकीय सेवाओं में केन्द्रीय सरकार ने सन् 1950 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 46 के तहत 7.5 प्रतिशत तथा राजस्थान सरकार ने 1956 में 12 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान बनाया था।

भारतीय सामाजिक व्यवस्था के अन्तर्गत जनजाति के नाम से सम्बोधित की जाने वाली जातियाँ प्रागैतिहासिक काल की जातियाँ समझी जाती हैं। फिर भी इन्हें एक निश्चित समुदाय के नाम से सम्बोधित करने का प्रयास भारत के संविधान के अन्तर्गत भाग 16 के अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक अनुसूचित क्षेत्रों के लिए निर्धारित है। इसी प्रकार भारत की राष्ट्रीय सरकार द्वारा इनके हितों की रक्षार्थ सन् 1956 में एक सूची तैयार की गई जिसे शिड्यूल कास्ट्स और शिड्यूल ट्राइब्स लिस्ट्स मॉडीफिकेशन कानून कहते हैं। अनुच्छेद संख्या 414 के अनुसार इन्हें मूल जनजाति और उपजनजाति में विभक्त किया गया है। इन जनजातियों की संख्या 550 है जिनमें 12 मुख्य हैं, यथा – भील, गरासिया, भील मीणा, धानका, कोकनी, कोली धेर, नायका, डामोर, पटेलिया, सहरिया, मीना, नैकदा इत्यादि।

जनजाति का अर्थ

वैसे तो किसी भी जाति के अर्थ को एक निश्चित शब्दों में व्यक्त करना सरल नहीं हैं, फिर भी जनजातियों के अर्थ का उत्तर देने का प्रयास कई समाज शास्त्रियों ने किया है। जनजाती को कई नामों से जाना जाता है। पाश्चात्य जगत में इन्हें जिप्सी कहा जाता है। विकासशील देशों में इन्हें जनजाति, वनचर एवं गिरिजन आदि नाम से पुकारा जाता है। विशेष स्मरणीय है कि ये वनवासी ही भारत के मूल निवासी हैं, जिन्हें द्रविड़ कहा गया है। आर्यों के आगमन के पश्चात् इनको पहाड़ों एवं जंगलों की ओर धकेल दिया गया। जनजाति आरंभ से ही प्रकृति के पुत्र रहे हैं और प्रकृति के सानिध्य में अपना जीवन यापन करते हैं।

शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग

स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरान्त राष्ट्रीय सरकार द्वारा देश में शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार की ओर अधिक ध्यान दिया गया है। शिक्षा का समुचित विकास भी किया गया है। हर गाँव में पाठशालाएँ खोली गयी। हर क्षेत्र में शिक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न की गई। आज भी भारत सरकार निरक्षरता मिटाने हेतु कृत संकल्प है और इस ओर राज्य सरकारें विभिन्न योजनाएँ चला रही है। गाँव गाँव में स्व. राजीव गांधी के नाम पर राजस्थान के मुख्यमंत्री पाठशालाएँ स्थापित कर रहे हैं। शैक्षणिक आरक्षण के अन्तर्गत जनजाति वर्ग के बच्चों को प्री मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति दी जाने लगी है। आज बुक बैंक एवं बुक ग्राण्ट के अतिरिक्त उन्हें दूसरे देशों में अध्ययन के लिए भी उन्हें छात्रवृति देकर भेजने का प्रावधान रखा गया है। शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के समय भी इनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण एवं अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। ये

सब सुविधाएँ सही तरीके से उपलब्ध कराई जा रही है या नहीं, इसको देखने के लिए विशेष संभाग बनाये गये हैं। इसके अलावा अनेक शैक्षणिक योजनाएँ भी केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा चलायी जा रही है जो निम्न हैं–

छात्रावास योजना

इस योजना का उद्देश्य जनजाति विधार्थियों को अध्ययन के दौरान आवास , भोजन एवं अन्य सुविधाएँ निःशुल्क उपलब्ध कराते हुए उनको निरन्तर अध्ययन करने में सहायता करना है। इस योजना के अन्तर्गत उदयपुर, डुँगरपूर, बांसवाड़ा, चितोड़गढ़ तथा सिरोही के क्षेत्र में कुल 107 बालक छात्रावास आश्रम तथा 25 बालिका छात्रावास आश्रम का संचालन किया जा रहा है। इस योजना में प्रत्येक अध्ययनरत जनजाति समुदाय के विद्यार्थी को भोजन, नाश्ता, युनिफॉर्म, साबुन, चद्दर जैसी मूलभूत सुविधाएँ प्रदान की जाती है, साथ ही छात्र–छात्राओं को समाचार पत्र, पत्रिकाएँ, खेल–कूद तथा चिकित्सा संबंधी सुविधाएँ भी प्रदान की जाती है। इस योजना के अन्तर्गत जनजाति क्षेत्र के प्रतिभावान विधार्थियों के लिऐ छात्रावास की व्यवस्था कर जनजाति के विधार्थियों के लिए मुफ्त छात्रावास का संचालन किया जाता है। इसके अर्न्तगत उदयपुर, डूँगरपुर ,प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा जिले में छात्रावास संचालित हो रहे है। प्रत्येक छात्रावास की क्षमता 50 है। इन छात्रावासों में विधार्थियों को देय सभी प्रकार की मूलभूत सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं।

आर्थिक सहयोग योजना

इस योजना के अन्तर्गत जनजाति के गरीब विधार्थियों एवं आर्थिक विवशता के कारण अध्ययन नही कर पा रहे विधार्थियों के लिए यह योजना लागू की गयी थी । ऐसे छात्रों को विद्यालय में प्रवेश देकर मुक्त पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई जाती है ताकि उन्हें पुस्तकों का अभाव महसूस न हो तथा वे अपना अध्ययन नियमित जारी रख सकें। इस योजना का उद्देश्य जनजाति के विधार्थियों का खेल के प्रति रुझांन उत्पन्न करना, जनजाति प्रतिभा सम्पन्न खिलाड़ियों को खोजना व संवारना, जनजाति विधार्थियों की खेल के प्रति रूचि उत्पन्न कर खेल भावना का विकास करना तथा भावनात्मक एकता का विकास करना है एवं जनजाति के विधार्थियों को राष्ट्रहित की मुख्य धारा से जोड़ना है।

एकलव्य खेल छात्रावास योजना

इस योजना के अन्तर्गत जनजाति बालकों में शिक्षा के साथ–साथ खेलों में अभिवृद्धि करना एवं जनजाति बालकों में छिपी खेल प्रतिभाओं को आगे लाने एवं उन्हें प्रोत्साहित करना है। जनजाति खिलाड़ी बालकों को खेलकूद हेतु प्रोत्साहित करने तथा उन्हें राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं के लिए तैयार करने के उद्देश्य से जनजाति बाहुल्य क्षेत्र बांसवाड़ा जिले के लोधा ग्राम में 100 बालकों की क्षमता वाला एकलव्य एथेलेटिक्स वर्ग में संपूर्ण राज्य के कक्षा 6 से 12वीं तक के जनजाति खिलाड़ी बालकों को प्रवेश दिया जाता है। प्रवेशित खिलाड़ी बालकों को खेलों के प्रशिक्षण के साथ–साथ निकटतम विद्यालयों में अध्ययन की सुविधाएँ प्रदान की जाती है। एकलव्य खेल छात्रावास में प्रतिदिन खिलाड़ी को 40/– की दर से भोजन, नाश्ता दिए जाने का प्रावधान है।

छात्र गृह किराया योजना

इस योजना को अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्र छात्राओं के हित को ध्यान में रख कर बनाया गया है। छात्र गृह किराया योजना का मूलभूत उद्देश्य अनूसूचित क्षेत्र में माध्यमिक/उच्च माध्यमिक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं के जनजाति छात्रों को अध्ययन के समय आवास संबंधित कठिनाई को दूर करने में सहायता प्रदान करना एवं जनजाति के ऐसे विधार्थियों जिन्हें महाविद्यालय/स्कूल छात्रावास में आवासीय स्थान मिलने पर आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना है। इस योजना के अर्न्तगत विधार्थियों को अधिकतम 150/–रुपये प्रतिमाह की दर से 10 माह के हिसाब से त्रैमासिक मकान किराये को पुनर्भरण किया जाता है। इसमें एक छात्र या दो छात्रों के एक ग्रुप को भी यह सुविधा दी जाती है। सर्वप्रथम कॉलेज स्तर पर अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को एवं बाद में क्रमशः 9, 10, 11 एवं 12 के छात्राओं के मातापिता को उपलब्ध बजट राशि की सीमा तक भुगतान किया जाता है।

माण्डा योजना

इसके अन्तर्गत राज्य सरकार जनजाति क्षेत्र के बच्चों में शिक्षा प्रसार के लिये कई योजनाएँ चलाती है।इस योजना के अन्तर्गत सवाई माधोपुर मीणा बाहुल्य क्षेत्र के साथ साथ उकरूंद के अतिरिक्त बरवाड़ा, वजीपुर खटकड़ नांगल, शेरपुर, करणपुर तथा सपोटरा में भी गांव के साधनहीन विधार्थियों को पढ़ने का अच्छा अवसर प्रदान किया गया है ।अलवर जिले मे राजगढ़ व थानागाजी के माण्डा क्षेत्र में निवास करने वाले जनजातियों के विधार्थियों को भी इस योजना से लाभ मिलने लगा है।

देवनारायण गुरुकुल योजना

इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत कक्षा 6 हेतु आयोजित प्रवेश पूर्व परीक्षा में सफल रहे अभ्यार्थियों को प्रवेश दिया जाता है। वे कक्षा 6 से 12 तक उन विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त कर सकते है जिनका चयन राज्य सरकार द्वारा किया गया हैं। इस योजना के अन्तर्गत संबंधित विधार्थियों को आवास, भोजन, गणवेश, पाठ्यपुस्तकें व समस्त दैनिक उपभोग सामग्री उपलब्ध करायी जाती है।

आर्थिक सहायता योजना

इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित क्षेत्र मे जनजाति छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करना है। उपर्युक्त योजना का लाभ जनजाति की उन छात्राओं को प्राप्त होता है जो अनुसूचित क्षेत्र की मूल निवासी है और कॉलेज और विश्वविद्यालय में अध्ययनरत है। इस योजनान्तर्गत प्रत्येक छात्रा को 250/– रुपये प्रतिमाह की दर से 10 माह हेतु (2500/– वार्षिक एक मुश्त) आर्थिक सहायता दी जाती है। (एक छात्रा को एक ही कक्षा में दो बार लाभान्वित नही किया जा सकता है। अर्थात् यदि छात्रा किसी कक्षा में अनुतीर्ण हो जाती है तो उसे उसी कक्षा में पुनः लाभान्वित नहीं किया जाएगा।

छात्रवृत्ति योजना

इस योजना का मूलभूत उद्देश्य राजस्थान बोर्ड द्वारा आयोजित कक्षा 10 एवं 12वीं की परीक्षाओं के प्रथम श्रेणी उतीर्ण होने वाले जनजाति प्रतिभावान विधार्थियों को छात्रवृत्ति देना है एवं कॉलेज में सामान्य शिक्षा में स्नातक (प्रथम श्रेणी) से उत्तीर्ण करने तथा अगली कक्षा में प्रवेश लेने वाले विधार्थियों को छात्रवृत्ति देना एवं प्रतिभाशाली विधार्थियों को परीक्षाओं में और अधिक परिश्रम करने हेतु प्रोत्साहित करना है।

निष्कर्ष

आज के समय में चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो या रोजगार का, चाहे सरकारी उपक्रम हो या निजी क्षेत्रों का, सभी में आरक्षित श्रेणियों को स्थान देने का प्रावधान रखा गया है। नित्य प्रति समाचार पत्रों आकाशवाणी गोष्ठियों, सम्मेलनों सभी में यही चर्चा का विषय रहता है। विद्यालय तथा महाविद्यालयों में आरक्षण प्राप्त छात्र छात्राओं की

संख्या पर्याप्त रहती है। हमारे देश के संविधान में वर्षो से पीड़ित तथा समाज के पिछड़े वर्गों के लिए यह आरक्षण नीति तय की गई है। इसके माध्यम से चाहे वह विद्यालयों मे ंनामांकन हो या सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाओं में नौकरी हो, हर क्षेत्र में सभी पिछड़ी जातियों तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और अत्यन्त पिछड़े वर्गों को आरक्षण के माध्यम से सामाजिक, शैक्षिक आर्थिक व राजनैतिक स्तर पर ऊपर उठाने के लिए आरक्षण नीतियों का प्रावधान किया गया है। अतः शोधार्थी का ध्यये इन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को मिलने वाली आरक्षण नीतियों के लाभ के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करना है।

संदर्भ

1. अल्तेकर, ए.एस. – प्राचिन भारतिय शिक्षा पद्धिति, मोतिलाल बनारसीदास प्रकाशन दिल्ली, (1959)
2. अवस्थी, अमरेश्वर एवं रामकुमार – आधुनिक भारतीय सामजिक एवं राजनीतिक चिन्तन, प्रकाशन विभाग सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, दिल्ली (1961)
3. सलिल कुमार अनिल – भारत का संविधान, प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली, (2013)
4. पिरूपके – जनजाति छात्रों की समस्याएँ, इन्डियन जनरल, (1973)
5. शर्मा आर.एस. – प्राचिन भारतीय विचार एवं समस्याएँ, पुस्तक महल दिल्ली (1977)
6. मीना यशोदा – मीणा जनजाती का इतिहास, जयपुर पब्लिकेशन हाउस जयपुर (1987)
7. झरवाल लक्ष्मीनारायण – मीणा जनजाती एक परिचय विषय शोध पत्र, जयपुर पब्लिकेशन जयपुर (1975)
8. गुप्ता ए.पी. – अनुसूचित जाति, पिछडी जाति व सामान्य जातियों का तुल्नात्मक अध्ययन शोध पत्र (2001)
9. मीणा आँचल – मीणा जति के सामाजिक व राजनैतिक उत्थान पर मीणा संगठनो की भूमिका शोध पत्र, राजस्थान विश्वविद्यालय (2012).